दिनांक: 04.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड व स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाद मुठभेड, हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 खोखा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल चाकू, घटना से सम्बन्धित कान का 01 अदद कुण्डल (पीली धातु) व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त चैकिंग की जा रही है।/*

*इसी क्रम में आज दिनाकं 04.06.2026 प्रभारी निरीक्षक नकुड़ व प्रभारी स्वॉट टीम द्वारा मय पुलिस टीम के अम्बेहटापीर गंगोह बाईपास पर ग्राम अम्बेहटी के सामने गस्त करते हुए पहुंचे तो एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किये हुए खडा था, जो पुलिस को सामने से आते देख ग्राम अम्बेहटी के सामने जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल को तेजी से चलाकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करता हुआ भागने लगा तथा करीब 100 मीटर आगे जाकर उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर तेज गति होने के कारण फिसलकर गिर गई, शातिर बदमाश पोपलर की बाड में घुस गया और पुलिस टीम को अपना पीछा करते देख बदमाश पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में भाग रहे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलावस्था में मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान **सलमान पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला गाडान कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश के **कब्जे से 01 तमंचा व 01 खोखा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 चाकू, घटना से सम्बन्धित कान का 01 कुण्डल (पीली धातु) व 01 मोटरसाइकिल UP11CK-7293** बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नकुड पर पंजीकृत मु0अ0स0 309/26 धारा 333/103(1)/309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस में **वांछित** चल रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 314/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः- *अभियुक्त सलमान ने पूछताछ पर बताया कि मैं और अंकुर गुप्ता अच्छे दोस्त है मेरी तथा अंकुर की माली हालत बहुत खराब थी अंकुर ने बहुत लोगो से उधार ले रखा था वह किसी का पैसा वापस नही कर पा रहा था ओर मुझ पर भी कई लोगो का कर्जा हो रहा था इसीलिये मुझे भी पैसो की जरुरत थी मैंने अंकुर से पैसा कमाने की बात कही थी तो अंकुर ने कहा मेरे पास अच्छे पैसा कमाने का एक रास्ता है जिससे हम दोनो का कर्ज भी उतर जायेगा और मै तेरे उधार के पैसे भी लौटा दूंगा। उसने बताया था कि उसके पडोस मे रहने वाला संजय मित्तल एक बडा व्यापारी है जिसकी कस्बा अम्बेहटापीर में कॉस्मेटिक की बडी दुकान है और उसके घर मे हमेशा काफी पैसा रहता है और उसके घर मे केवल उसकी पत्नी अकेली रहती है और अंकुर गुप्ता का उनके घर आना जाना है हम दोनो ने करीब एक हफ्ते पहले यह लूट की योजना बनायी थी और दिनाँक 01.06.26 को समय*

03.30 बजे हम दोनो संजय मित्तल के घर गये थे संजय मित्तल के घर के नीचा का दरवाजा खुला हुआ था उसके बाद हम दोनो घर की पहली मंजिल पर पहुँचे जहाँ पर गेट अंदर से बंद था अंकुर ने संजय मित्तल की पत्नि को चाची कहकर आवाज लगाकर कहा कि चाची हम लोगो की गेंद घर मे आ गयी है इस पर उस महिला ने गेट खोला तो हम दोनो घर में घुसते ही उस महिला को लेकर कमरे मे चले गये जहाँ पर उस महिला से घर मे रख कैश के बारे में पुछा तो उसने बताया कि पैसो के बारे में मेरे पति को जानकारी है मुझे पैसो के बारे में कुछ नही पता है हम दोनो की सारी योजना फैल हो गयी घर पर कोई कैश ना मिलने के कारण हमने उस महिला के कानो के कुण्डलो को लूट लिया था उस महिला ने हम दोनो को पहचान लिया था इसलिए पकडे जाने के डर से अंकुर ने उसके हाथ पकडे और मैने उस महिला का अपने साथ लाये चाकू से गला रेत दिया, वहाँ से भागने से पहले हम दोनो ने उस महिला से लूट गये कुण्डलो को आपस मे एक एक बाँट लिया था जो चाकू मुझसे मिला इसी चाकू से मैने महिला का गला काटा था और जो कुन्डल मुझसे मिला ये कुन्डल हम दोनो ने उसी महिला के कानो से छीना था आज मैं और मेरा साथी अंकुर यहाँ से कही भागने वाले थे । योजना के तहत मिलने के स्थान ग्राम अम्बेहटी के सामने मै मोटरसाइकिल लेकर अंकुर का इंतजार कर रहा था । तभी सामन से पुलिस को आते देखकर मैने पकड़े जाने के डर पुलिस के ऊपर फायर करके मो0सा0 लेकर भागने लगा तथा पुलिस को अपना पीछा करते देख पुलिस पर फिर से फायरिंग कर दी, और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली मेरे पैर में लग गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला गाडान कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- *01 तमन्चा .315 बोर*
- *01 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *01 जिन्दा कारतूस .315 बोर*
- *01 मोटरसाईकिल*
- *01 अदद चाकू (**घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू**)*
- *01 अदद कान का कुण्डल(**हुआ घटना में लूटा**)*

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 115(2),117(2),131,333,351(3),352 बीएनएस थाना नकुड, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ सहारनपुर*
2. *प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील शर्मा एसओजी सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ सहारनपुर*
4. *उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना नकुड़ सहारनपुर*
5. *उ0नि0 रणवीर सिंह थाना नकुड सहारनपुर*
6. *है0का0 923 प्रविन्द्र थाना नकुड़ सहारनपुर*
7. *है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर*
8. *है0का0 2018 संदीप कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर*
9. *का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ सहारनपुर*

10.उ0नि0 नीरज पंवार स्वाट टीम प्रभारी सहारनपुर
11.उ0नि0 श्री अक्षय शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
12.है0का0 81 हरेन्द्र कुमार स्वाट टीम सहारनपुर
13.है0का0 578 जोगेन्दर स्वाट टीम सहारनपुर
14.है0का0 1016 मनदीप स्वाट टीम सहारनपुर
15.है0का0 447 अमरदीप स्वाट टीम सहारनपुर
16.है0का0 681 वसीम स्वाट टीम सहारनपुर
17.है0का0 362 अमित पवार स्वाट टीम सहारनपुर
18.है0का0 अमित चिकारा स्वाट टीम सहारनपुर
19.का0 38 विक्रांत स्वाट टीम सहारनपुर
20.का0 405 गौरव राठी स्वाट टीम सहारनपुर
21.का0 2229 अमित स्वाट टीम सहारनपुर
22.है0का0 1179 नितिन त्यागी सर्विलांस सैल

दिनांकः 04.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ व स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में फरार चल रहा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 अदद कुण्डल (पीली धातु) बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 01.06.2026 को वादी श्री संजय मित्तल पुत्र श्री ब्रजभूषणलाल निवासी मौहल्ला झाबरी कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर मे घुस कर वादी की पत्नि श्रीमति पूनम मित्तल उम्र करीब 60 वर्ष की गला रेतकर हत्या करने व कानों के कुण्डल लूट कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 309/2026 धारा 333/ 103(1)/309(6) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड श्री देवेश कुमार शर्मा व प्रभारी स्वाट टीम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ व स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या व लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त अंकुर गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी मौहल्ला झाबरी कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को सऊद के धुलाई सेन्टर से आगे खेड़ा अफगान की ओर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 अदद कुण्डल (पीली धातु) बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

पूछताछ का विवरणः *अभियुक्त अंकुर गुप्ता उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि संजय मित्तल मेरे पडोसी है और और मुझे अच्छी तरह से पता था कि उनका कास्मेटिक का अच्छा कारोबार है । मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी मेरे ऊपर बहुत लोगो का कर्जा हो गया था और सलमान जो कि मेरा अच्छा दोस्त है, मैने उससे भी करीब डेढ लाख रूपये ऊधार ले रखे थे वह भी लगातार मुझसे अपने पैसे मांगता रहता था और अन्य लोग भी अपने ऊधार के पैस मांगते रहते थे । ऊधार लिये गये पैसे वापस करने का कोई रास्ता नही सूझ रहा था इसीलिये मैने अपने दोस्त सलमान से मिलकर करीब एक हफ्ते पहले अपने पडोसी संजय मित्तल के घर से लूट करने की योजना बनायी थी मुझे जानकारी थी कि संजय मित्तल की पत्नि जो कि घर में बिल्कुल अकेली रहती थी जो नाते में मेरी चाची लगती थी इसीलिये मेरा उनके घर अक्सर आना जाना था क्योंकि वह अनजान व्यक्ति के आने पर गेट नही खोलती थी इस बात का मुझे पता था तो मैने सलमान के साथ मिलकर योजना बनायी कि मैं किसी काम के बहाने चाची से गेट खुलवाकर अन्दर चला जाऊंगा और तू मेरे साथ अन्दर आ जाना ओर वहां पर उनको को डरा धमकाकर जो भी हमे लूट का सामान मिलेगा उसमें से तुम्हारा कर्जा भी उतर जायेगा ओर हमारे हिस्से में अच्छा खासा पैसा भी आ जायेगा योजना के अनुसार हम लोग दिनांक 01.06.2026 को समय करीब 3.30 बजे संजय मित्तल के घर पहुंचे जहां पर उसके घर के नीचे का मैन गेट खुला हुआ था उसके बाद हम लोग सीढिया चढते हुए*

पहली मंजिल पहुँचे जहां पर जाली का गेट लगा हुआ था जो अन्दर से बन्द था मैने गेट खुलवाने के लिये चाची कहकर आवाज लगायी कि चाची हमारी गेंद छत पर आ गयी है जिसे हमे लेना है चाची ने मुझे पहचानकर गेट खोला तो हम दोनो ने उनको खींचते हुए कमरे में ले गये और पैसो के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि पैसो के बारे में तो तुम्हारे चाचा को पता है हम दोनो के द्वारा कमरे की अलमारीयों को खोलकर देखा गया तो हम लोगो को वहां पर कुछ नही मिला हमे अपनी योजना फैल होती हुई दिखायी तो हम दोनो उसके कानो से कुण्डल निकालने लगे जिस पर उसने शोर मचाना शुरू किया तो मैने उसका मुंह दबा लिया क्योंकि वह मुझे पहचानती थी हम दोनो का भेद खुलने के डर से हमने उसको को हमेशा के लिये खत्म करने की योजना बनायी मैने उसके दोनो हाथ पकडे ओर सलमान ने अपने साथ लाये चाकू से चाची गला रेत दिया जिस कारण मेरे कपडे भी खून से सन गये थे तथा हम लोग मौके से कुण्डल छटक कर उसको मरा समझकर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुर गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी मौहल्ला झाबरी कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद कुण्डल पीली धातु (घटना से सम्बन्धित)

अभियुक्त अंकुर गुप्ता उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 37/2006 धारा 380 भादवि थाना-नकुड,सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 320/2009 धारा 377/506 भादवि व 3(2),(5),SC/ST ACT थाना नकुड, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ सहारनपुर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील शर्मा एसओजी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ सहारनपुर
4. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना नकुड़ सहारनपुर
5. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना नकुड सहारनपुर
6. है0का0 923 प्रविन्द्र थाना नकुड़ सहारनपुर
7. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
8. है0का0 2018 संदीप कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
9. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ सहारनपुर
10. है0का0 1179 नितिन त्यागी सर्विलांस सैल
11. उ0नि0 नीरज पंवार स्वाट टीम प्रभारी सहारनपुर
12. उ0नि0 श्री अक्षय शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
13. है0का0 81 हरेन्द्र कुमार स्वाट टीम सहारनपुर
14. है0का0 1016 मनदीप स्वाट टीम सहारनपुर
15. है0का0 447 अमरदीप स्वाट टीम सहारनपुर
16. है0का0 681 वसीम स्वाट टीम सहारनपुर
17. है0का0 362 अमित पवार स्वाट टीम सहारनपुर
18. है0का0 अमित चिकारा स्वाट टीम सहारनपुर
19. है0का0 578 जोगेन्दर स्वाट टीम सहारनपुर
20. का0 405 गौरव राठी स्वाट टीम सहारनपुर
21. का0 2229 अमित स्वाट टीम सहारनपुर
22. का0 38 विक्रांत स्वाट टीम सहारनपुर

दिनांक:04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी गये आभूषणों को बेचकर अर्जित की गयी कुल 8,35,000/- रूपये की नकद धनराशि बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 15.04.2026 को वादी श्री राजपाल सिंह पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से संदूक में सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 116/2026 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा कार्यवाहक थाना प्रभारी श्री सुबोध कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त शोएब पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को समसपुर से नवादा जाने वे रास्ते पर कामिल के निर्माणाधीन मकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की **निशादेही पर चोरी गये आभूषणों को बेचकर अर्जित की गयी कुल 8,35,000/- रूपये की नकद धनराशि** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि करीब 3 साल पहले मै गांव कुतुबपुर मे रवि मिस्त्री की दुकान पर मोटरसाईकिल रिपेयरिंग का काम करता था। गांव कुतुबपुर के रहने वाले राजपाल से मेरी काम के सिलसिले मे जान पहचान हो गयी थी जिस कारण मेरा उनके घर पर भी आना जाना हो गया था। एक दिन जब वे सब बैठे घर मे बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि राजपाल के घर मे संदूक के अन्दर उनके सोने चाँदी के काफी गहने रखे है तो मेरे मन मे लालच आ गया और उसके कुछ दिनो बाद जब मुझे पता चला कि ये लोग अपनी रिश्तेदारियो मे बाहर गये हुए है तथा घर पर केवल एक बुजुर्ग आदमी राजपाल के पिता सोम सिंह ही घर पर थे। इसी बात का फायदा उठाकर मैने इनके घर के अन्दर रखे संदूक से सोने चाँदी की चीजे चोरी कर ली थी और चोरी करने के बाद मैने संदूक के अन्दर रखे दूसरे सामान को ज्यो का त्यो ही रख दिया था ताकि किसी को पता न चल सके। मै इस चोरी किये गये सोने चांदी के सामान को धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग स्थानो पर जाकर आने जाने वाले अन्जान लोगो को औने पौने दामो पर बेचता रहा तथा उससे जो भी पैसा मिलता था उसमे से कुछ को तो अपने घर मे छिपा कर रख देता था और कुछ पैसे को मैने खाने पीने व मौज मस्ती मे खर्च कर दिया है और कुछ पैसे अभी भी मेरे पास मेरे घर पर रखे है। राजपाल के घर से चोरी किये सभी सोने चाँदी के

गहनो को तो मैने बेच दिया है लेकिन इन गहनो को बेचने पर मिले रूपयो मे से कुछ रूपये अभी भी मेरे घर पर मेरे पास रखे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

शोएब पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

8,35,000/- रूपये नकद (आभूषणों को बेचकर अर्जित धनराशि)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *थानाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार (कार्यवाहक) थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
2. *म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 देवकरन शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 सौरभ यादव थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
5. *है0का0 661 सम्राट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 24 सुनिल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
7. *रि0का0 2530 कुलदीप सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
8. *रि0का0 2553 कृष्णा लोधी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
9. *रि0का0 2595 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.06.2026

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वांरटी अभियुक्त वारिश उर्फ भुटी पुत्र लियाकत निवासी ग्राम समसपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 5360/21 धारा 380/457/411 भादवि में ग्राम समसपुर नौगांवा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यालालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

वारिश उर्फ भट्टी पुत्र लियाकत निवासी ग्राम समसपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. उ0नि0 ओमपाल सिह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **01 वारंटी अभियुक्त विनोद पुत्र धर्मपाल निवासी गाँव सरकडी शेख थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को संबंधित वाद सं0 480/07 व मु0अ0सं0 480/06 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवली देहात जनपद सहारनपुर में ग्राम सरकडी शेख से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विनोद पुत्र धर्मपाल निवासी गाँव सरकडी शेख थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सौरभ कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0 का0 1120 कुलदीपकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2314 युधिष्ठर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.06.2026

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहरण व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में 02 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया

सादर अवगत कराना है कि थाना बडगांव क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले ग्राम नन्हेडा खुर्द से एक लडका एक नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर ले गया था जिस सम्बन्ध मे लडकी के पिता की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 137(2) पंजीकृत किया गया था। लडकी को पहले ही बरामद किया जा चुका था, जिसके बाद लडकी के धारा 180/183 बीएनएसएस के कथन अंकित किये गये थे तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से दो लडको के नाम प्रकाश मे आये थे।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को 02 बाल अपचारी को महेशपुर बस अड्डे के पास से नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया। मुकदमा उपरोक्त मे समुचित पोक्सो एक्ट की धाराओं की वृद्धि कर बाल अपचारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

संरक्षण में लिए गये

1- बाल अपचारी (2)

संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम

1- उ0नि0 श्री मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर। (सादे वस्त्रों में)

2- हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. अहकाम पुत्र मोहसीन निवासी शेखपुरा नानोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2. सद्दाम हुसैन पुत्र महफूज उर्फ फूजा निवासी शेखपुरा नानोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 6132/2025 व मु0अ0सं0 -115/2020 धारा 498ए,323,324,504,506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट चालानी थाना चिलकाना (मा0 न्यायालय श्रीमान जे0एम0 द्वितीय स0पुर) नियत तिथि 04.06.2026 में ग्राम शेखपुरा थाना क्षेत्र बेहट से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. अहकाम पुत्र मोहसीन निवासी शेखपुरा नानोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. सद्दाम हुसैन पुत्र महफूज उर्फ फूजा निवासी शेखपुरा नानोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1815 विशाल यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1805 नितिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.06.2026

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुकान मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 02 ग्राइन्डर मशीन, 01 वेल्डिंग मशीन व 01 बैटरा, 08 मीटर केबल, घटना मे प्रयुक्त ई-रिक्शा, 01 मोटरसाइकिल व 2970/- रुपये नकद बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 01.06.2026 को वादी श्री जावेद हसन पुत्र एजाजुल हसन निवासी सराय हिसामुद्दीन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा बावत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 31.05.2026/01.06.2026 की रात्रि को वादी की दुकान से 02 अदद ग्राइन्डर मशीन, एक अदद वेल्डिंग मशीन व एक अदद बैटरा (रंग नीला) व दुकान मे रखा अन्य सामान चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 247/26 धारा 305 (A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना का अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 वांछित चोर/अभियुक्तगण 1.नूरहसन पुत्र इकराम निवासी ईदगाह के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर एवं 2.सलीम पुत्र कासिम निवासी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को अम्बाला रोड पर दबनी कब्रिस्तान की और जाने वाले रास्ते पर दवनी तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 02 अदद ग्राइन्डर मशीन, एक अदद वेल्डिंग मशीन व एक अदद बैटरा (रंग नीला), 08 मीटर केबल मय घटना मे प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा नं0-UP 11 BT 9167 व 2970/- रुपये नकद बरामद आदि सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) /331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः -

1. नूरहसन पुत्र इकराम निवासी ईदगाह के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. सलीम पुत्र कासिम निवासी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामद माल का विवरण : -

- 2970/- रुपये नकद
- 08 मीटर केबल,
- 02 अदद ग्राइन्डर मशीन,
- 01 अदद वेल्डिंग मशीन
- 01 अदद बैटरा (रंग नीला)
- 01 अदद ई-रिक्शा(घटना मे प्रयुक्त नं0-UP 11 BT 9167 01
- 01 मोटरसाइकिल UP11P7240,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. का0 2432 अनिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 2424 गौरव कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 1373 ब्रजेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. रि0का0 1400 आशुतोष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.06.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त राजा उर्फ राजकुमार पुत्र जोगीन्द्र उर्फ जलेन्द्र निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को मानकमऊ ईदगाह ककराला रोड़ से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त राजा उर्फ राजकुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 252/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- राजा उर्फ राजकुमार पुत्र जोगीन्द्र उर्फ जलेन्द्र निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 अदद अवैध चाकू*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *हे0का0 1210 अनित थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *का0234 अरुण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0का01390 मोहित सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0का0 1390 रूम सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 04.06.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 01 किलो 226 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है ।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शाहरूख पुत्र अमन नि0-चौधरी मैडिकल वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से **कुल 01 किलो 226 ग्राम गांजा** बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 132/26 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *शाहरूख पुत्र अमन निवासी चौधरी मेडिकल वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण-

- *01 किलो 226 ग्राम गांजा*

अपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 112/11 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कु0शेर, स0पुर
2- मु0अ0सं0 162/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सरसावा, स0पुर
3- मु0अ0सं0 479/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर, स0पुर
4- मु0अ0सं0 213/22 धारा 63 आबकारी एक्ट थाना कुतुबशेर, स0पुर
5- मु0अ0सं0 212/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर, स0पुरर
6- मु0अ0सं0 16/26 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर, स0पुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1. *उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।*
2. *है0कां0 663 बालेन्द्र सिंह थाना जनकपुरी, सहारनपुर।*
3. *का0 1804 प्रमोद थाना जनकपुरी, सहारनपुर।*
4. *का0 1766 मोहन थाना जनकपुरी,सहारनपुर ।*

दिनांक: 19-04-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद कर आरोपी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनाँक 24.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त हिमांशु पुत्र स्व0 पहल सिह नि0 बिशनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 209/26 धारा 137(2) बीएनस पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे पीडिता के बयानो के आधार पर व शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व 5एल/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 04.06.26 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वाँछित अभियुक्त हिमांशु पुत्र स्व0 पहल सिह नि0 बिशनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को गंगाली कट कस्बा छुटमलपुर से गिरफ्तार करते हुए अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

हिमांशु पुत्र स्व0 पहल सिह नि0 बिशनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. रि0का0 783 रवि कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान हत्या के प्रयास के मुकदमें में **01 वांछित अभियुक्त गोविन्द पुत्र मन्नूलाल निवासी मौहल्ला किशनपुरा नालापटरी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 98/ 2026 296 धारा/333/115(2)/352/351(3)/109(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर में जेवी जैन डिग्री कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गोविन्द पुत्र मन्नूलाल निवासी मौहल्ला किशनपुरा नालापटरी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 शौकीन खान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. का0 1438 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया केवल बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 21.03.26 को वादी श्री रणधीर सिंह पुत्र दाताराम निवासी शेरपुर शाहपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 18/19.03.2026 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा मोटर का कापर कैबिल 15 मीटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन अपराधों में लिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर चोर/अभियुक्त तसलीम उर्फ टोनी पुत्र शहीद निवासी ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया केबल रंग काला व सफेद करीब 12 मीटर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तसलीम उर्फ टोनी पुत्र शहीद निवासी ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 मीटर केबल (चोरी गया रंग काला व सफेद)

अभियुक्त तस्लींम उर्फ टोनी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 224/2023 धारा 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 रामवीर सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. है0का0 286 मोहित शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. का0 883 गौरव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: **04.06.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में फरार चल रहे 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद फावड़ा बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 16.05.26 को वादी श्री संजय पुत्र इकबाल निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 29.04.2026 को अभियुक्तगण 1.राजकुमार पुत्र रतन सिंह ,2.योगेश पुत्र राजकुमार 3.विशाल उर्फ घोलू पुत्र मुकेश 4.मनीष उर्फ बन्टी पुत्र योगेश समस्त निवासी गण ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी के साथ जान से मारने की नियत से फावडे से मारपीट करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 252/026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(2)/3(5) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित अभियुक्तगण 1. मनीष उर्फ बन्टी पुत्र योगेश कुमार निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनुर व 2. विशाल उर्फ घोल्लू पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनुर** को ग्राम चौरादेव से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर से घटना मे प्रयुक्त फावडा बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मनीष उर्फ बन्टी पुत्र योगेश निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. विशाल उर्फ घोल्लू पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

घटना मे प्रयुक्त फावडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

4. उ0नि0 रामवीर सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. है0का0 286 मोहित शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
6. का0 883 गौरव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
7. का0 846 विवेक कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
8. का0896 रितिक कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.06.2026

थाना गागलहेड़ी पुलिस की अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई — मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 03 डम्फरो को सीज किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर *के कुशल निर्देशन में तथा* ***पुलिस अधीक्षक नगर*** *एवं* ***क्षेत्राधिकारी सदर*** *के निकट पर्यवेक्षण में सहारनपुर पुलिस द्वारा* ***अवैध खनन की रोकथाम*** *के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में* ***थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम*** *ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है।*

□ ***घटना का विवरण :***

दिनांक ***03/04.06.2026 की रात्रि*** *को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम गश्त एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी । इस दौरान सूचना प्राप्त हुयी की हरौडा के पास कुछ* ***भू-माफिया तत्वों द्वारा मिट्टी का अवैध खनन*** *किया जा रहा है ।*

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ***थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार*** *के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची । मौके पर पहुँचने पर पुलिस ने देखा कि 03 डम्फर जिनमे अवैध रूप से मिटटी भरी है जिनके द्वारा मिट्टी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था ।*

पुलिस ने मौके से ***03 अदद डम्फर (मिट्टी से भरी हुई)*** *को* ***कब्जे में लेकर सीज किया ।***

सीज वाहनों को थाना परिसर में लाकर ***अग्रिम वैधानिक कार्यवाही*** *की जा रही है।*

□ ***बरामदगी का विवरण :***

03 अदद डम्फर *— जिनमें अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी भरी हुई थी।*

□♂□ ***कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम :***

1. ***व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार****, थाना गागलहेड़ी*
2. ***उपनिरीक्षक श्री अनिल कुमार****, थाना गागलहेड़ी*
3. ***आरक्षी राहुल कुमार (2019)*** *थाना गागलहेड़ी,*
4. ***आरक्षी संजय मान (1471)*** *थाना गागलहेड़ी,*
5. ***रि0का0 अभिषेक कोहली (835)*** *थाना गागलहेड़ी,*

दिनांक:04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **04 वारण्टी अभियुक्तगण 1. रमेश उर्फ काला पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 20980/18 धारा 60 आबकारी एक्ट (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर) में, **2. कीरत सिंह पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 11613/18 धारा 60(2) आबकारी एक्ट (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर) मे, **3. बसन्त कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम राजपुरा थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 7122/22 मु0अ0सं0 382/2021 धारा 414/465 भादवि (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर) मे व **4. विक्की पुत्र जनेश्वर निवासी सबदलपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या-7136/21 व मु0अ0सं0-177/21 धारा 147/149/332/353/504 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर को थाना कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वारंटी/अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रमेश उर्फ काला पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. कीरत सिंह पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. बसन्त कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम राजपुरा थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. विक्की पुत्र जनेश्वर निवासी सबदलपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः -

1. उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1217 राजेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. का0 234 अरूण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 1381 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 1390 मोहित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक:04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारंटी/अभियुक्त दिनेश पुत्र किशनलाल निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 11663 /18 व मु0अ0स0 6/2005 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि0 सहारनपुर) में खुजनावर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पताः–

दिनेश पुत्र किशनलाल निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2107 रवि राठी थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांक - 04.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान शान्ति भंग की आशंका में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री नेमचन्द सिंह मय पुलिस टीम के चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन एवं शान्ति व्यवस्था मे क्षेत्र में मामूर था तभी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरगथल हमीद में पुरानी मुकदमेबाजी को लेकर एक पक्ष द्वारा विपक्षीगण के साथ कहासुनी व गाली गलौच की जा रही थी। इस पर जनकपुरी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर उग्र पक्ष को समझाने का काफी प्रयास किया गया जो नही माने और ज्यादा उग्र होकर आमदा फसाद पर उतारू थे।

प्रथम प्रकरण:- में अभियुक्तगण **1. शिवा उर्फ शिवाजी पुत्र राजकुमार निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर, 2. राजकुमार पुत्र नगीना निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर व 3. रेनू पुत्र इन्द्राज निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर** को शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय प्रकरण मेः- पीआरवी 5254 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मौजमपुरा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी व आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ आमदा फसाद हो रहा है। इस सूचना थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मौके पहुचकर **अभियुक्त अमरदास पुत्र श्री निरोत्ताराम निवासी जेल चुंगी मौजमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर** को समझाने का काफी प्रयास किया गया जो नही माना और ज्यादा उग्र होने लगा इस पर जनकपुर पुलिस द्वारा अमरदास उपरोक्त को भी शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शिवा उर्फ शिवाजी पुत्र राजकुमार निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. राजकुमार पुत्र नगीना निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. रेनू पुत्र इन्द्राज निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
4. अमरदास पुत्र श्री निरोत्ताराम निवासी जेल चुंगी मौजमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 580 उस्मान थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
4. है0का0 649 मनवीर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. कां0 2474 प्रताप सिहं थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
6. रि0कां0 1068 दिनेश थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर